

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, हाजीपुर (वैशाली)

दिनांक :- 22 वी0:- सितम्बर 20

सेवा में,

विद्यार् कॉलेज ऑफ एजुकेशन
हाजीपुर (वैशाली)

विषय:- अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके भवन/ प्रतिष्ठान/ विद्यालय / पेट्रोल पम्प/ फैक्ट्री /नर्सिंग होम / कॉलेज में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों की जाँच की गई, जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया :-

1.	ए0बी0सी0 टाईप	07	सात	(6 kg) अदद
2.	बी0सी0 टाईप	—	—	(6 kg) अदद
3.	मेकेनिकल फोम	01	(एक)	(6 kg) अदद
4.	सी0ओ0टु0	02	(दो)	(6 kg) अदद
5.	फोम टाईप	—	—	(6 kg) अदद
6.	बालू पानी (बाल्टी)	06	(छः)	अदद
7.	कम्बल	10	(दस)	अदद
8.	CLEAN AGENT	—	—	—
9.	डाउन कमर सिस्टम	—	—	—
10.	होज रिल होज	—	—	—
11.	डिलेवरी होज	—	—	—
12.	नोजल ब्रांच	—	—	—
13.	ओवर हेड वॉटर टैंक	5000 L.T	(पाँच हजार) लीटर	—
14.	अंडर ग्राउंड वॉटर स्टेटिक टैंक	—	—	—
15.	वेट राइजर सिस्टम	—	—	—
16.	फायर अलार्म सिस्टम	01	(एक)	—
17.	स्मोक डिटेक्टर	—	—	—
18.	हार्डडेंट	—	—	—

सलाह :-

1. प्रबंधक- IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक- N.B.C Part-IV केई टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक - रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में होने वाली खराबी की सारी जबाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
4. प्रबंधक- किसी रजिस्टर्ड फॉर्म को A.M.C देना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक- वर्ष में दो बार माक ड्रिल का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक- वर्ष में एक बार अपने अग्निशमन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रबंधक- निर्गत की तिथि- 22.09.2020 से 21.09.2021 तक एक वर्ष के लिए अग्निशमन यंत्रों का प्रमाण पत्र निर्गत की जाती है।
8. No Smoking ka बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।

नोट- निरीक्षण के दौरान उपकरणों को खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है।

Suc
2020
Fire Station Officer
Hajipur (Vaishali)